परिपत्र संख्या-वि.अनु.शा.-2020-21/ 590 /कम्प्यूटर0परि0सं0- 202/01/5 //वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(वि.अनु.शा. अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 10 सितम्बर, 2020

समस्त,

एडीशनल कमिश्नरग्रेड-2(वि.अनु.शा.),

ज्वाइण्ट कमिश्नर/डिप्टी.कमि./असि.कमि.(वि.अनु.शा.),

वाणिज्य कर अधिकारी (वि.अनु.शा.),

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय- वि0अनु0शा0 इकाइयों के कार्यात्मक लक्ष्य के निर्धारण के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा-67 के अन्तर्गत निरीक्षण, तलाशी एवं अभिग्रहण के विधिक प्रावधानों के क्रियान्वयन में एकरूपता के दृष्टिगत परिपत्र संख्या-1718033 दिनांक 31-08-2017 एवं परिपत्र संख्या-1819012 दिनांक 24-05-2018 से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। वि.अनु.शा. इकाइयों द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रवर्तन कार्य समयबद्ध ढंग से किए जाने के उद्देश्य से कार्यात्मक लक्ष्य का निर्धारण निम्न प्रकार किया जा रहा है -

1. डाटा विश्लेषण

प्रत्येक वि.अनु.शा. इकाई द्वारा निम्न श्रेणियों में से प्रतिमाह कम से कम दस व्यापारियों को डाटा विश्लेषण हेतु चयनित किया जाएगा -

(i) सम्भाग में राजस्व के प्रमुख स्रोत के व्यापारियों में से ऐसे व्यापारी जिनके विरुद्ध विभागीय वेबसाईट पर MIS रिपोर्ट में उपलब्ध डीलर 360 मेन्यू में ऐसे व्यापारी जिनका औसत रिस्क स्कोर सात प्वाइण्ट से अधिक है;

(ii) सम्भाग में कम से कम तीन पैरामीटर पर रेड फ्लैग्ड व्यापारी;

(iii) सम्भाग की संवेदनशील वस्तुओं एवं प्रमुख सेवाओं में पंजीकृत ऐसे व्यापारी जिनके मासिक टर्नओवर में अप्रत्याशित कमी अथवा वृद्धि परिलक्षित हो रही है एवं कर दायित्व को अधिकांशत: आई.टी.सी. से सेटऑफ किया जाता है अथवा अत्यन्त अल्प नकद कर जमा किया जाता है;

(iv) सम्भाग की वि.अनु.शा. इकाई में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी के डैशबोर्ड पर उपलब्ध एलर्ट्स से सम्बन्धित व्यापारी;

(v) स्थानीय स्तर पर प्राप्त इनपुट के अनुसार करापवंचन में लिप्त व्यापारी।

प्रति माह डाटा विश्लेषण हेतु व्यापारियों का चयन वार्षिक टर्नओवर के आधार निम्न प्रकार किया जाएगा -

क्र.सं.	व्यापारियों की संख्या	वार्षिक कर योग्य टर्नओवर
1	5	रु. 10.00 करोड़ से अधिक
2	3	रु. 5.00 करोड़ से से रु.10.00 तक
3	1	रु. 1.5 करोड़ से रु. 5.00 करोड़ तक
4	1	रु. 1.5 करोड़ से कम

उक्त प्रकार चयनित दस व्यापारियों द्वारा दाखिल किए जा रहे रिटर्न, ई-वेबिल पोर्टल, जी.एस.टी. पोर्टल एवं विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर एस.आई.बी. माड्यूल पर उपलब्ध मेन्यू में डीलर प्रोफाईल तैयार की जाएगी।

2. केस प्रोफाईल

(i) वि.अनु.शा. इकाई द्वारा दस व्यापारियों के डाटा विश्लेषण एवं उनकी व्यापारिक गतिविधियों की रेकी के साथ-साथ वाहय स्रोतों से गोपनीय सूचना एकत्र की जाएगी तथा प्रति माह शीर्ष प्राथमिकता वाले दो व्यापारियों की तलाशी की अनुमति हेतु एस.आई.बी. माड्यूल पर केस प्रोफाईल सबमिट की जाएगी।

(ii) सम्भाग में तैनात ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा डाटा विश्लेषण के पश्चात प्रत्येक त्रैमास में एक महत्वपूर्ण तलाशी के लिए अपने स्तर से केस प्रोफाईल तैयार करते हुए अग्रेतर कार्यवाही कराई जाएगी।

(iii) जोन में तैनात एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) द्वारा डाटा विश्लेषण के पश्चात प्रत्येक छमाही में एक महत्वपूर्ण तलाशी के लिए अपने स्तर से केस प्रोफाईल तैयार करते हुए अग्रेतर कार्यवाही कराई जाएगी।

3. तलाशी

(i) वि0अनु0शा0 इकाई द्वारा अपने स्तर से तैयार की गई केस प्रोफाईल पर प्रॉपर आफीसर से अनुमति के पश्चात प्रत्येक त्रैमास में कम से कम चार मामलों (माल एवं सेवा) में तलाशी की कार्यवाही की जाएगी।

(ii) ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा प्रत्येक त्रैमास में अपने स्तर से तैयार की गई केस प्रोफाईल के मामले में अपने निर्देशन में तलाशी की कार्यवाही सम्पन्न कराई जाएगी।

(iii) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) द्वारा प्रत्येक छमाही में अपने स्तर से तैयार की गई केस प्रोफाईल के मामले में अपने निर्देशन में तलाशी की कार्यवाही सम्पन्न कराई जाएगी।

4. तलाशी के दौरान जब्ती योग्य पाए गए अभिग्रहीत माल के मामलों में कार्यवाही

(i) वि0अनु0शा0 इकाई द्वारा तलाशी के दौरान पाए गए जब्ती योग्य माल को अभिग्रहीत करने के पश्चात यदि अभिग्रहीत माल धारा-67 की उपधारा (8) के अन्तर्गत विज्ञापित है तो इसका निस्तारण नियम-141 के उपनियम (1) अथवा उपनियम (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर अधिकतम एक माह के अन्दर सुनिश्चित किया जाएगा।

(ii) अभिग्रहीत माल की जब्ती हेतु धारा-67 की उपधारा (7) में विहित समय-सीमा में धारा-130 के अन्तर्गत नोटिस जारी करना सुनिश्चित किया जाएगा।

5. विवेचना

(i) वि0अनु0शा0 इकाई द्वारा तलाशी के कृत मामलों में से प्रति माह दो मामलों में विवेचना पूर्ण करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त ड्राफ्ट कारण बताओ नोटिस सहित प्रतिवेदन रिपोर्ट सम्बन्धित खण्ड कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।

(ii) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) एवं ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा अपने स्तर से तैयार की गई केस प्रोफाईल पर अपने निर्देशन में तलाशी के सम्पन्न मामलों में प्राथमिकता के आधार पर सम्यक विवेचना सुनिश्चित कराते हुए ड्राफ्ट कारण बताओ नोटिस सहित प्रतिवेदन रिपोर्ट सम्बन्धित खण्ड कार्यालय को प्रेषित कराई जाएगी।

6. बोगस ITC के सम्बन्ध में कार्यवाही

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि.अनु.शा.) एवं ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि.अनु.शा.) द्वारा बोगस ITC के सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी -

(i) निरीक्षण अथवा तलाशी के दौरान अस्तित्वहीन पाई गई फर्मों द्वारा प्रान्त अन्दर एवं प्रान्त बाहर के क्रेताओं को माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना इनवायस जारी करते हुए बोगस ITC पास ऑन करने के मामलों में प्रान्त अन्दर के क्रेताओं की ITC तत्काल ब्लॉक की जाएगी। प्रान्त बाहर के क्रेताओं की ITC ब्लॉक करने एवं दोनों प्रकार के मामलों में अग्रेतर कार्यवाही हेतु सूचना एस.आई.बी. माड्यूल से प्रेषित की जाएगी।

(ii) प्रान्त बाहर के विक्रेताओं अथवा क्रेताओं से सम्व्यवहार करने वाले प्रान्तीय व्यापारियों के सम्बन्ध में खण्ड कार्यालय को एस.आई.बी. माड्यूल के माध्यम से उपलब्ध कराई गई प्रतिकूल सूचनाओं पर त्वरित वांछित कृत कार्यवाही का अनुश्रवण करते हुए सूचना प्रेषित कराई जाएगी।

7. परिवादों का निस्तारण

(i) शासन, राजस्व एवं विशिष्ट अभिसूचना अथवा मुख्यालय से प्राप्त परिवादों को जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 द्वारा वि.अनु.शा. इकाई हेतु संदर्भित मामलों में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि.अनु.शा.) द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि सम्बन्धित इकाई द्वारा परिवाद प्राप्त होने से पन्द्रह दिनों के अन्दर रिपोर्ट अथवा प्रारम्भिक रिपोर्ट एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 को उपलब्ध कराई जाय।

(ii) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि.अनु.शा.) द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि परिवाद के जिन मामलों में प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई है उनमें अन्तिम जांच रिपोर्ट प्राथमिकता के आधार पर प्रेषित की जाय।

8. पाक्षिक एवं साप्ताहिक समीक्षा

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) एवं ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि.अनु.शा.) द्वारा अधीनस्थ प्रवर्तन इकाइयों द्वारा सम्पादित कार्यों की निम्न बिन्दुओं पर क्रमश: पाक्षिक एवं साप्ताहिक समीक्षा करते हुए संक्षिप्त कार्यवृत्त मासिक समीक्षा माड्यूल मेन्यू पर अपलोड किया जाएगा -

वि0अनु0शा0 कार्य	सचलदल कार्य
मानक के अनुरूप डाटा विश्लेषण, केस प्रोफाईल एवं तलाशी।	सचलदल इकाइयों द्वारा सप्ताहिक परिनियोजन के अनुसार कृत कार्यवाही की मानीटरिंग।
अभिग्रहीत माल के सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही, अस्तित्वहीन फर्मों की चेन में आने वाली फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही का अनुश्रवण।	मानक के अनुरूप वाहनों की जांच, संवेदनशील वस्तुओं एवं ट्रांसपोर्टर्स की जांच एवं अभिग्रहण की कार्यवाही।
प्रतिवेदन की समीक्षा एवं अनुमोदन के पश्चात प्रेषण।	संवेदनशील वस्तुओं एवं व्यापारियों के ई-वेबिलों का सत्यापन। रु. पचास हजार से कम मूल्य के बिलों का संग्रहण एवं खण्ड कार्यालय को प्रेषण।
खण्ड स्तर से वि0अनु0शा0 वादों में कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने का अनुश्रवण।	RFID टैग रहित वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही का अनुश्रवण।
परिवादों का निस्तारण।	प्रदेश की स0द0 इकाइयों द्वारा जोन के सप्लायर एवं प्राप्तकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की सूचना का विश्लेषण एवं कार्यवाही।

उक्तानुसार कार्यात्मक लक्ष्य के अनुसार वि.अनु.शा. इकाइयों द्वारा प्रवर्तन कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।